न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं)

मु.न. 174 / 2016

उनवान

1. विष्णु कुमार पुत्र स्व0 श्री आर पी शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी 5, सन्तोष सागर, ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर, जिला जयपुर।

वादी / प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रामचन्द्र पुत्र बालूराम, जाति अहीर, निवासी 41 / 127, राजीव नगर, सेक्टर–3, विद्याधर नगर, जयपुर।
3. मदन लाल पुत्र रामेश्वर, जाति अहीर, निवासी जगदम्बा, कॉलोनी, नयाखेडा, जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् दुरूस्थी अन्तर्गत धारा 89 राज0 काश्त0 अधि0

निर्णय दिनांक :– 27.05.2017

पत्रावली आज कोर्ट कैम्प मुख्यालय चौमूं में पेश हुई। वादी की वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खेजरोली, तहसील चौमूं, जिला जयपुर स्थित साबिक खसरा नम्बर 3163 / 1 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा, जो कि पूर्व खातेदार प्रागा पुत्र सेडू कौम अहीर की खातेदारी में थी जिसे वादी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कर लिया जिसका नामान्तकरण संख्या 1464 वादी के हक में तस्दीक हो चुका है, वादी द्वारा उक्त आराजीयात में से 100X120 = 12000 वर्गफिट 1333 वर्गगज भूमि पेट्रोल पम्प स्थापित किए जाने के लिए आवेदन किया था जिस आवेदन पर कार्यालय कलक्टर, जयपुर आदेश क्रमांक आर–18.बी(1)87 / पी / 2272–77 दिनांक 13 / 03 / 1987 के द्वारा पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु भू–राजस्व कृषि भूमि का होटल / सिनेमा / निर्माण करने तथा पेट्रोल पम्प स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन / रूपान्तरण नियम 1978 के अन्तर्गत रूपान्तरण किया गया, जिस लीज–डीड के साथ नक्शा भी स्वीकृत किया गया था।

उक्त आराजीयात के हाल खसरा नम्बर 6195, 6195 / 8255, 6194 बने हैं जो खसरा नम्बर 6195 / 8255 पेट्रोल पम्प के लिए रूपान्तरित भूमि है जिसके हाल राजस्व नक्शें में स्वीकृत नक्शे अनुसार तरमीम नहीं की जाकर सेटलमेन्ट विभाग द्वारा नये प्रकार से तरमीम कर दी गई हैं।

सेटलमेन्ट विभाग को स्वीकृत नक्शे अनुसार ही हाल राजस्व नक्शे में तरमीम करने के अधिकार प्राप्त थे लेकिन सेटलमेन्ट विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर हाल राजस्व नक्शे में खसरा नम्बर 6195 / 8255 की तरमीम नये प्रकार से कर दी गई जिससे वादी की रूपान्तरित भूमि अलग हो गई जिसका कि सेटलमेन्ट विभाग को कोई अधिकार कानूनन अभिप्राप्त नहीं हैं।

खसरा नम्बर 6195 / 8255 के हाल राजस्व नक्शे के गलत इन्द्राजात को दुरूस्थ करवाने हेतु प्रतिवादी के यहां दिनांक 03.10.2016 को वादी ने आवेदन किया तो प्रतिवादी ने हाल राजस्व नक्शे को स्वीकृत नक्शे अनुसार दुरूस्थ करने से इन्कार कर दिया इस कारण उक्त वाद पेश करना लाजमी आया हैं।

ऐसे में वादी को अधिकार हासिल है कि मान्य न्यायालय के समक्ष उक्त वाद प्रस्तुत कर खसरा नम्बर 6195 / 8255 के हाल राजस्व नक्शे के गलत इन्द्राजात को आंवटन नक्शे के अनुसार दुरूस्थ करवायें।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

प्रतिवादी राज्याधीन लोकसेवक है जिसके विरूद्ध वाद पेश करने से पूर्व 2 माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु गलत राजस्व नक्शे के आधार पर वादी को काफी समस्याओं का सामना करना पड रहा है इस कारण वाद अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण 80(2) सीपीसी का प्रार्थना पत्र जुदागाना पेश हैं।

अतः वादी को हाल खसरा नम्बर 6195/8255 के हाल राजस्व नक्शें को भूमि रूपान्तरण लीज–डीड के साथ स्वीकृत नक्शें अनुसार किए जाने के आदेश प्रदान किए जावें। अन्य अनुतोष जो हितकर वादी हो अता फरमाये जावें।

प्रतिवादी सं. 1 व 2 की ओर से इकबालिका जवाब दावा प्रस्तुत किया है जिसमें वादी के वाद को स्वीकार किया गया हैं। प्रतिवादी सं. 1 तहसीलदार चौमूं की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया है कि जरिये नामान्तकरण संख्या 50 दिनांक 25.03.1987 द्वारा खसरा नम्बर 3163/3 रकबा 1333 वर्गगज किस्म बारानी 3 राज0 सरकार दर्ज होकर स्वीकृत हुआ। दौरान सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 3163/3 के नये नम्बर 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर गै0मु0 सडक दर्ज कर दिया। जरिये नामान्तकरण संख्या 622 दिनांक 28.11.2001 इन्द्राज दुरूस्ती से किस्म हटाकर जिमन नं. 1 राजस्थान सरकार (सिवाय चक) खाता दर्ज हुआ।

दौरान सेटलमेन्ट ही उक्त खसरा नम्बर का नक्शा व मौका में अन्तर कर दिया ऐसा प्रतीत होता है क्योंकि श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जयपुर द्वारा दिनांक 25.05.1987 में नक्शा अनुमोदित किया हुआ है कि छाया प्रति देखने से स्पष्ट होता हैं। अतः रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे अनुसार दुरूस्त किया जाना न्यायोचित हैं।

अतः जवाब वाद पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र अतिरिक्त उत्तर में वर्णितानुसार डिक्री किया जाता है तो मिन जवाबदाता को कोई ऐतराज नहीं हैं।

बहस उभयपक्षकारान के अधिवक्ता की सुनी गई। वाद पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार चौमूं की रिपोर्ट क्रमांक भू.अ./2017/607 दिनांक 23.02.2017 के संलग्न पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का खेजरोली की रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि प्रकरण के संबंध में गत रिकार्ड व वर्तमान रिकार्ड, नक्शा व मौका अनुसार जांच में पाया कि गत ख0न0 3163/3 रकबा 1333 वर्गगज दौराने भू–प्रबन्ध मुताबिक मिलान क्षेत्रफल के हाल ख0न0 6195/8255 रकबा 0.12 हैक्टेयर के मौके व नक्शे में भिन्नता हैं। साथ ही मौके की नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हाल ख0न0 6195/8255 का राजस्व नक्शे व मौके पर भिन्नता हैं। सेटलमेन्ट से पूर्व के नक्शे में जिस जगह सम्परिवर्तन के आदेश अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम की गयी थी। दौरान ए सेटलमेन्ट उसकी तरमीम भिन्न स्थान पर कर दी गयी है हाल एवं साविक नक्शे, जिला कलेक्टर महोदय द्वारा किये गये सम्परिवर्तन आदेश के प्रकाश मे उक्त त्रुटि को दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता हैं तथा वाके ग्राम खेजरोली तहसील चौमूं के हाल ख0न0 6195/8255 का साविक नक्शें के अनुसार राजस्व नक्शे में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री जारी हों। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2017 को कोर्ट कैम्प मुख्यालय चौमूं न्यायालय मे मेरे द्वारा सुनाया गया।

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चौमूं (जयपुर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट मुख्यालय चौमूं)

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार योगी (R.A.S)

उनवान

1. विष्णु कुमार पुत्र स्व0 श्री आर पी शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी 5, सन्तोष सागर, ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर, जिला जयपुर।

वादी / प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. रामचन्द्र पुत्र बालूराम, जाति अहीर, निवासी 41 / 127, राजीव नगर, सेक्टर–3, विद्याधर नगर, जयपुर।
3. मदन लाल पुत्र रामेश्वर, जाति अहीर, निवासी जगदम्बा, कॉलोनी, नयाखेडा, जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् दुरूस्थी अन्तर्गत धारा 89 राज0 काश्त0 अधि0

मुकदमा नम्बर :– 174 / 2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू वादी मिन जामिन मुददई रूबरू अशोक कुमार योगी आरएएस मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता हैं तथा वाके ग्राम खेजरोली तहसील चौमूं के हाल ख0न0 6195 / 8255 का साविक नक्शे के अनुसार राजस्व नक्शे में दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिक्री की प्रति तहसीलदार चौमूं को पालनार्थ प्रेषित हों।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर लोक अदालत कैम्प मुख्यालय चौमूं मे आज तारीख 27.05.2017 को जारी किया गया।

मोहर

(अशोक कुमार योगी)
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदाईला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2		स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1		स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीसकमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान	3		मीजान	2	

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दोफरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner